राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः—एफ.24(NOC 24-25)/बी.एड/आकाशि/2024/65 दिनांकः— 13/03/2024

1. समन्वयक पीटीईटी 2024, (बी.एड. व बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड). वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. समन्वयक 2024, प्री—एमईटी, प्री—बीएमईटी, प्री—बीपीएड व प्री—एमपीएड (एम.एड, बी.एड—एम.एड., बी.पी.एड. व एम.पी.एड)।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर।
7. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. रजिस्ट्रार, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
12. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।

विषयः—सत्र 2024—25 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं की सूची संलग्न कर सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:—

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2024 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
8. एनसीटीई रेग्यूलेशन 2014 में उल्लेखित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी—7,सेक्टर—10 ,द्वारका,नई दिल्ली—110075।
6. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
7. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

RajKaj Ref 6078304

Signature valid
Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation :Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.13 ...:30:58 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राज्य में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सत्र 2024–25 के लिए B.Ed. (2 year) Course हेतु काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की सूचीः–

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	B.Ed Type	Total Seats
479	Jaipur	Gaurav Teacher Training College	Kh.no. 655, Salagrampura Scheme Road, Bilwa, Tehsil-Sanganer, Distt.-Jaipur	Sanganer	C	100
480	Jaisalmer	Ma Durga Shikshan Sansthan Mahila T T College (113W003)	KHASRA NO-432 DAMODRA JAJIA ROAD JAISALMER	Jaisalmer	W	100
481	Jaisalmer	Pokran T T College (113C002)	NEAR DY. SP OFFICE PHULSUN ROAD POKARAN	Pokaran	C	100
482	Jaisalmer	Ramdev T T College (113C001)	BARMER ROAD JAISLMER	Jaisalmer	C	100
483	Jaisalmer	Shri Karni Teachers Training College,	Village-Kajoi, Shiv Road, Tehsil-Bhaniyana, Dist-Jaislmer	Bhaniyana	C	100
484	Jalor	Amar Jyoti Teachers Training College	Village- Dawal, Tehsil-Chitalwana, District-Jalor-343041	Chitalwana	C	100
485	Jalore	Bagoda College	Village-Bagoda, Tehsil-Bagoda,Dist.-Jalor-343029	Bagoda	C	100
486	Jalore	C.T.E. (College for Teacher Education)B.Ed. College,	Vill-Bhinmal, Jalore Road, Bhinmal,Jalore	Bhinmal	C	100
487	Jalore	Jaswantpura College,	Village- Jaswantpura, Tehsil-Jaswantpura, Dist.- Jalor	Jaswantpura	C	100
488	Jalore	Lord Shiva Girls Teachers Training College (114W004)	NEAR MAHAVEER NAGAR , BHINMAL	Bhinmal	W	100
489	Jalore	Munni Shri Kamal Vijay Ji M Sa T T College (114C007)	Kshemkari Mata Talhati Bhinmal	Bhinmal	C	100
490	Jalore	Oxford International College	Village-Parawa, Tehsil-Chitalwana,Dist.-Jalor-343041	Chitalwana	C	100
491	Jalore	Ramseen College	Village-Ramseen, Jalor Road, Tehsil-Jaswantpura, Dist.-Jalor- 343029	Jaswantpura	C	100
492	Jalore	Shree Bhagwan Mahaveer B Ed College (114C006)	Hadecha Road ,Sanchore	Sanchore	C	100
493	Jalore	Shree Hari T.T. College	Village-Kotda, Guruo Ki Dhani, Tehsil-Raniwada, District-Jalor-343040	Raniwara	C	100
494	Jalore	Shri Raghunath Bisnnoi Memorial College	Village-Raniwara, Tehsil-Raniwara, Dist.-Jalor-343040	Raniwara	C	100
495	Jalore	Shri Ranjeet Singh T.T. College	Village- Borli, Tehsil- Chitalwana, Dist.-Jalor-343040	Chitlawana	C	100
496	Jalore	Shri Shanti Nath Vidhya Bharti T T College (114C001)	SIRE MANDIR ROAD, JALORE(RAJ.) 343001	Jalore	C	100
497	Jalore	Sundha Mata Mahila T T College (114W005)	ShreeMal Nagar Bhinmal	Bhinmal	W	100
498	Jalore	UK Singh Dewal Memorial Teacher Training Sansthan (114C002)	Parthvi raj Nagar, Ramseen Road Bhinmal	Bhinmal	C	100
499	Jalore	Sayala College Sayala	Village- Sayala, Tehsil-Sayala, Dist.-Jalor- 343002	Sayala	C	100
500	Jhalawar	Darshan B.Ed. College (116C009)	Bhawanimandi Road Jhalrapatan Dist. Jhalawar	Jhalarapatan	C	100
501	Jhalawar	Dr Jakir Hussain M M Shikshak Prakshishan Mahavidhyalay (116C001)	Gopalpura N-12 Kota Road Jhalawar	Jhalarapatan	C	100
502	Jhalawar	Great India Teachers Training College (116C002)	Mega High Way Bye Pass Road Khanpur Tehsil-Khanpur Distt. Jhalawar (Raj.) 326038	Khanpur	C	200
503	Jhalawar	Millenium Shikshak Prashikshan Mahavidhalaya (116C005)	Manohar Thana road, Aklera	Aklera	C	100
504	Jhalawar	Nirmal Shishan Prashikshan Sansthan,	Village-Munderi, Tehsil - Asnawar,Jhalawar	Asnawar	C	100
505	Jhalawar	Sigma Mahila B Ed College (116W006)	JHALAWAR BARAN MEGHA HIGHWAY MUNDERI JHALAWAR, RAJASTHAN	Jhalarapatan	W	100
506	Jhalawar	Swami Vivekanand Shishak T T College (116C003)	DUG ROAD BHAWANIMANDI	Pachpahar	C	100
507	Jhalawar	Tagore B Ed College (116C008)	Aklera, Jhalawar	Aklera	C	100
508	Jhalawar	Vardhaman Shikshak Mahavidalaya (116C004)	SOYAT ROAD GURADIYA, PIRAWA PIN CODE 326034	Pidawa	C	100
509	Jhalawar	Vijayaraje Mahila T T College (116W007)	SALPURA ROAD AKLERA DISTT JHALAWAR	Aklera	W	100
510	Jhunjhunu	Ambika Teachers Training College (115C054)	WARD NO.- 13, NEAR GOUSHALA, MALSISAR	Malsisar	C	100
511	Jhunjhunu	Amman Teachers Training College (115C001)	DHOLAKHERA TEHSIL- UDAIPURWATI DIST- JHUNJHUNU -333307	Udaipurwati	C	100
512	Jhunjhunu	Baba Ganganath T.T. college (115C050)	vill-post parasrampura purana ,teshil-nawalgarh ,dist-jhunjhunu	Nawalgarh	C	100
513	Jhunjhunu	Balajee T T College (115C002)	GUDHA GORJI, JHUNJHUNU (RAJ.)	Udaipurwati	C	100

Signature valid

RajKaj Ref 6078804

Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.1_ _:30:58 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:–एफ.24(NOC 24-25)/बी.एड / आकाशि / 2024 / 65 दिनांक:– 13/03/2024

1. समन्वयक पीटीईटी 2024, (बी.एड. व बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. समन्वयक 2024, प्री–एमईटी, प्री–बीएमईटी, प्री–बीपीएड व प्री–एमपीएड (एम.एड, बी.एड–एम.एड., बी.पी.एड. व एम.पी.एड)।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,उदयपुर।
7. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. रजिस्ट्रार, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
12. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।

विषय:–सत्र 2024–25 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं की सूची संलग्न कर सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अधोलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2024 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
8. एनसीटीई रेग्यूलेशन 2014 में उल्लेखित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी–7,सेक्टर–10 ,द्वारका,नई दिल्ली–110075।
6. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
7. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

Signature valid
RajKaj Ref 6078804
Digitally signed by H[illegible] Sawansukha
Designation :[illegible]oint [illegible]retary To Government
Date: 2024.03.[illegible]:30:58 IST
Reason: Approve[illegible]

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राज्य में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सत्र 2024–25 के लिए B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. (4 year Integrated) Course हेतु काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की सूची:–

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Type	Total Seats
212	Jaipur	**Shri Kalyan College,**	Village-Renwal Manji, Jaipur-Bhilwara Megha Highway, Tehsil-Phagi, Dist.-Jaipur-303904	Phagi	सहशिक्षा	(2 Unit) 100 B.A.B.Ed / B.Sc.B.Ed.
213	Jaipur	**Gyan Vihar School of Education,**	Suresh Gyan Vihar University, Jaipur	Sanganer	सहशिक्षा	(2 Unit) 100 B.A.B.Ed / B.Sc.B.Ed.
214	Jaisalmer	Pokhran T.T. College	Plot No. 17, Village-Pokhran] Tehsil-Pokhran Dist-Jaisalmer	Pokhran	सहशिक्षा	100
215	Jalore	Bagoda College,	Village -Bagoda, Tehsil-Bagoda, District- Jalor -343029	Bagoda	सहशिक्षा	100
216	Jalore	Gayatri Mahavidalya,	Village-Sanchore, NH-15, Tehsil-Sanchore, Dist.-Jalor-343041	Sanchore	सहशिक्षा	100
217	Jalore	Global Education Institute,	Village-Dedwa Khurd ,Tehsil-Sanchore, Jalore	Sanchore	सहशिक्षा	100
218	Jalore	Indira College,	Village -Lalji ki Dungri, Tehsil-Chitalwana,District-Jalor-343041	Chitalwana	सहशिक्षा	100
219	Jalore	Oxford International College,	Village -Parawa, Tehsil-Chitalwana, District- Jalor -343041	Chitalwana	सहशिक्षा	100
220	Jalore	Rajshree Mahavidhyalaya,	Village-Sanchor, Moti Nagar, Badsam Road, Tehsil-Sanchor, District-Jalor-343041	Sanchor	सहशिक्षा	100
221	Jalore	Ramseen College,	Village -Ramseen Jalor Road, Tehsil-Jaswantpura, District- Jalor -343029	Jaswantpura	सहशिक्षा	100
222	Jalore	Royal Rajasthan College ,	Village-Bhinmal, Tehsil- Bhinmal, Dist.-Jalor	Bhinmal	सहशिक्षा	100
223	Jalore	Shri Raghunath Bisnoi Memorial College,	Village -Raniwara, Tehsil-Raniwara District- Jalor -343040	Raniwara	सहशिक्षा	100
224	Jalore	Jaswantpura College	Village- Jaswantpura, Tehsil-Jaswantpura, Dist.- Jalor-343029	Jaswantpura	सहशिक्षा	50+50 (2 Unit)
225	Jalore	Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan	Village- Jhab, Tehsil- Chitalwana, Dist.-Jalor-343040	Chitalwana	सहशिक्षा	50 (1 Unit)
226	Jalore	**Sayala College Sayala,**	Village- Sayala, Tehsil-Sayala, Dist.-Jalor- 343002	Sayala	सहशिक्षा	(2 Unit) 100
227	Jalore	**Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan,**	Village- Jhab, Tehsil- Chitalwana, District-Jalore-343040	Chitalwana	सहशिक्षा	(1 Unit) 50 B.Sc.B.Ed.
228	Jhalawar	Darshan B. Ed. College,	Village-Ralayati, Tehsil-Jhalrapatan, Dist-Jhalawad-332602	Jhalarpatan	सहशिक्षा	50
229	Jhalawar	Great India Teacher Training College,	Village -Khanpur, Tehsil-Khanpur, District- Jhalawar -326038	Khanpur	सहशिक्षा	100
230	Jhunjhunu	Bhom Singh Teachers Training College	Village-Ghoriwara Kalan, Sikar Jhujhunu Road, . Tehsil-Nawalgarh, Jhunjhunu	Nawalgarh	सहशिक्षा	100
231	Jhunjhunu	Baba Ganganath BA BEd, BSc.BEd. College	Village - Parasrampur, Teh - Nawalgarh , Dist- Jhunjhunu PIN - 333308	Nawalgarh	सहशिक्षा	100
232	Jhunjhunu	Bhaskar Kanya P.G. Mahavidyalaya,	Village -Gadakhera, Chirawa, Tehsil-Buhana, District-Jhunjhunu-333026	Chirawa	सहशिक्षा	100
233	Jhunjhunu	Chanchal Ahilya Umrawati Mahila P.G.College	Village-JMandrella, Tehsil-Chirawa,Jhunjhunu	Chirawa	महिला	100
234	Jhunjhunu	Dhattarwal College of BABEd/BScBEd,	Plot No.256, Village-LambaHamirwas, Tehsil-Mandrella, Dist-Jhujhunu	Mandrella (Chirawa)	सहशिक्षा	100
235	Jhunjhunu	Indira Gandhi Balika Niketan Girls P.G. College,	Village- Ardawat, Tehsil-Chirawa, District-Jhunjhunu-333027	Chirawa	महिला	100
236	Jhunjhunu	Kanoria College,	Village- Mukundgarh, Ward No.-15, Tehsil-Nawalgarh, District-Jhunjhunu-333705	Nawalgarh	सहशिक्षा	100
237	Jhunjhunu	Kothari Mahila Mahavidyalay Mandrella,	Village- Mandrella, Ward No.-15, Tehsil- Chirawa, Dist.-Jhunjhunu-333025	Chirawa	महिला	50
238	Jhunjhunu	Kuldeepak College of Education	Village-Shimala] Tehsil- Khetri, Dist-Jhunjhunu	Khetri	सहशिक्षा	100

Signature valid
RajKaj Ref 6078804
Digitally signed by H[illegible] Sawansukha
Designation :[illegible]oint [illegible]retary To Government
Date: 2024.03.[illegible]:30:58 IST
Reason: Approve[illegible]

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (72)निकाशि/नि.सं./2017/ 1518 दिनांकः– 23/8/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2022–23 से स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय** में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
ओम विष्णु शिक्षण संस्थान, परावा, चितलवाना, जालौर।	ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, परावा, चितलवाना, जालौर।	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	स्नातक स्तर पर– **कला संकाय–** भूगोल, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित** अवधि **में भरकर अपलोड़ करेगी।**
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेव पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –**

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जालौर।
5. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (72)आकाशि/नि.सं./2017/ 1519 दिनांक:– 23/8/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2022–23 से 2024–25 (तीन सत्र)** के लिए **स्नातक स्तर पर नवीन संकाय /विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण** पत्र में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
ओम विष्णु शिक्षण संस्थान, परावा, चितलवाना, जालौर।	ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, परावा, चितलवाना, जालौर।	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर।	**स्नातक स्तर पर –** **विज्ञान संकाय–** भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2025–26 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जालौर।
5. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )निकाशि/नि.सं./2017/ 1974 दिनांकः- 31/10/2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2023–24 से स्नातकोत्तर स्तर पर** क्रमोन्नत **नवीन विषय/संकाय** में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
ओम विष्णु शिक्षण संस्थान, परावा, चितलवाना, जालौर।	ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, परावा, चितलवाना, जालौर।	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	**स्नातकोत्तर स्तर पर– एम.ए.–** भूगोल।

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2023-24 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेव पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जालौर।
5. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
RajKaj Ref 4964144
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.31 12:23:23 IST
Reason: Approved